

::आदेश:-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008, के नियम- 2(1)(c)(II) तथा नियम 2(1)(k) के प्राविधानों के दृष्टिगत इस नियमावली के नियम 3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मै, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नवत् कालम-3 में अंकित असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्यकर अधिकारियों के विभिन्न पद स्थानान्तरण/ अवकाश / से0नि0 होने के कारण रिक्त हो जाने के फलस्वरूप उनका क्षेत्राधिकार कालम-2 में अंकित अधिकारियों को प्रदान करता हूँ। एतदर्थ अलग से कोई वेतन भत्ता देय न होगा :-

क्र0स0	अधिकारी का नाम व तैनाती स्थान	पद जिसका अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया
1	2	3
1	श्री संजय शुक्ला, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर खण्ड-4 लखीमपुरखीरी	वाणिज्यकर अधिकारी खण्ड-3 लखीमपुर खीरी
2	श्री सुशील गंगवार, वाणिज्यकर अधिकारी खण्ड-3, सीतापुर	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-2, सीतापुर
3	श्री उदयवीर सिंह वाणिज्यकर अधिकारी खण्ड-2, मथुरा	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-1 मथुरा
4	श्री लल्लू राम वर्मा, वाणिज्यकर अधिकारी खण्ड-1, झाँसी	वाणिज्यकर अधिकारी खण्ड-2 झाँसी

2- उक्त रिक्त पदों पर नियमित तैनाती हो जाने / तैनात अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिये जाने पर उस खण्ड का प्रदत्त क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्यकर, लखनऊ जोन द्वितीय /अलीगढ / झाँसी ।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सीतापुर / मथुरा / झाँसी ।
3. डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर (आई0टी0) मुख्यालय ।
4. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से अनुपालनार्थ ।

(विनोद कुमार सिंह)

(विनोद कुमार सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।